


54



**न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर**

प्रकरण क्रमांक - 2017/पुनरीक्षण

I. निगरानी/शिवपुरी/भू.रा.सं. 16/15/70/16A-70/2017

श्रीकृष्ण पुत्र रामजीलाल बराहा, आयु 45 वर्ष.  
व्यवसाय : कृषि, निवासी- ग्राम चांदपुर तह.  
पोहरी, हाल निवासी लुधावली शिवपुरी (म.प्र.)

सुनील चारडा, कागि  
3-10-17

..... निगरानीकर्ता

3-10-17

बनाम

1. बलराम पुत्र देवीलाल गोस्वामी, व्यवसाय कृषि निवासी- ग्राम चांदपुर तह. पोहरी, हाल निवासी लुधावली शिवपुरी (म.प्र.)

..... गैर निगरानीकर्ता

औपचारिक पक्षकार

1. रामजीलाल पुत्र अमरलाल बराही
2. जीवनलाल पुत्र श्री अमरलाल बराही
3. कृपाल पुत्र श्री अमरलाल बराही
4. हरज्ञान पुत्र श्री अमरलाल बराही
5. हरगोविंद पुत्र रामजीलाल बराही
6. ओमी पुत्र रामजीलाल बराही
7. नरोत्तम पुत्र रामजीलाल बराही
8. रतन पुत्र रामजीलाल बराही

समस्त निवासीगण- ग्राम चांदपुर तहसील पोहरी जिला शिवपुरी म.प्र.

C.F.  
4/10/17



**पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.सं. विरुद्ध आदेश दिनांक 7.09.2017 न्यायालय माननीय नायब तहसीलदार महोदय, पोहरी द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 16/15-16A-70 बलराम बनाम रामजीलाल आदि में पारित आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण प्रस्तुत है।**

श्रीमान् महोदय,

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

र  
स  
ए  
ी है  
त न  
इसके  
य के  
किन्तु  
जा नहीं  
ग बनाकर  
आदेश 01

न्यायालय राजस्व मण्डल, म० प्र०, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-एक/निग./शिवपुरी/भू.रा./2017/3614

श्री कृष्ण विरूद्ध बलराम आदि

स्थान तथा  
दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों  
आदि के हस्ताक्षर

17/6/19

प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी करैरा, जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक- 16/2015-16/अ-70 में पारित आदेश दिनांक 7/09/2017 विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।

2/ पक्षकार दिनांक 06/8/19 को कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।

3

(आर०के० जैन) 17/6/19  
सदस्य